

पत्रक  
210 रोशन जैकब,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,  
प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग,  
30प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजनान्तर्गत जनपद आगरा में अवन्तीबाई चौराहे से रोहता नहर तक (आगरा-ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग) मार्ग का छः लेन चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य (लम्बाई 6.50 किमी०) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

संखनक : दिनांक 10 दिसम्बर, 2016

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, 30प्र0, लखनऊ के पत्रांक-42216नि०/102-01नि०/2016-17, दिनांक 26-10-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद आगरा में अवन्तीबाई चौराहे से रोहता नहर तक (आगरा-ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग) मार्ग का छः लेन चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य (लम्बाई 6.50 किमी०) की आंकलित लागत ₹० 3202.07 लाख (रुपये बत्तीस करोड़ दो लाख सात हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये लागत के सापेक्ष ₹० 640.00 लाख (रुपया छः करोड़ चालीस लाख मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र० सं०	जनपद	कार्य का नाम	आंकलित लागत	अनुदान सं०-58 का अंश	अनुदान सं०-83 का अंश	वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन
1	2	3	4	6	7	5
1	आगरा	आगरा में अवन्तीबाई चौराहे से रोहता नहर तक (आगरा-ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग) मार्ग का छः लेन चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य (लम्बाई 6.50 किमी०)	3202.07	504.00	136.00	640.00

(1) उपरोक्त तालिका में अंकित निर्माण कार्य उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उस पर कोई व्ययभार लिया जाय जब तक कि स्वीकृति लागत के अन्दर कार्य का विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत कार्य पूर्व से किसी भी विभाग द्वारा किसी अन्य योजना में स्वीकृत तो नहीं है।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

प्रती जय तथा सक्षम स्तर से राष्‍ट्रकीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ  
जाय।

- (3) कार्य की विशिष्टियां, मात्रक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की होगी तथा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
- (4) प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत ही निर्गत की जायेगी।
- (5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/बाकघर/पी0एत0ए0 में न रखी जाय।
- (6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (8) प्रस्तावित कार्यों की दविरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।
- (9) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/डाइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- (10) प्रायोजना के सम्बन्ध में सम्स्त वैधानिक अनापत्तियाँ तथा वन एवं पर्यावरण सम्बन्धी अनापत्ति सक्षम वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (11) प्रायोजना का निर्माण कार्य ताज टिपोजियम क्षेत्र में कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। अतः इस क्षेत्र में निर्माण कराये जाने से पूर्व मा0 उच्च/मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अन्य सम्बन्धित संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- (12) कार्य की लागत में अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही नियमानुसार जमा की जायेगी।
- (13) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
- (14) मूल्य हास निधि चार्जज की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।
- (15) प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-03-राज्य राजमार्गों का निर्माण कार्य-0306-राज्य राजमार्गों के सुदृढीकरण/चौड़ीकरण के नये कार्यों हेतु-एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-राज्य राजमार्ग-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-06-राज्य

- 3- अनुदान संख्या-83 से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग-भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
- 4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ0-8-2941/उदसा/2016 दिनांक 10 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहे हैं।

भावदीया,  
(डॉ० रोशन जैकब)  
विशेष सचिव।

संख्या-233 (1)/23-11-2015-1/2(112)/2015-उद दिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम (निर्माण) उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल/जिलाधिकारी, आगरा।
- 3- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, आगरा।
- 5- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
- 6- समाज कल्याण विभाग, (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
- 7- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
- 8- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 9- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
- 10- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 11- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र, लखनऊ।
- 12- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(डॉ० रोशन जैकब)  
विशेष सचिव।